प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

क्रमांकः— राकृमबा/लेखा/खुली निविदा/2023/779 दिनांकः— 08.09.2023

खुली बोली सूचना —07/2023—24

(लोक उपापन में पारदर्शिता एक्ट—2012 एवं 2013 के तहत खुली बोली सूचना)

राजकीय कृषि महाविद्यालय गुड़ामालानी में प्रयोशाला उपकरण खरीदने हेतु पंजीकृत विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता/एकमात्र सप्लायर्स/सद्भावी इच्छुक बोलीदाता मुहरबन्द लिफाफों में दिनांक 15.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक निविदा आमन्त्रित की जाती है। जो उसी दिन प्रातः 11.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। उक्त कार्य का सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	कार्य का विवरण विथ स्पेशिफिकेशन	समयावधि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क	संख्या	अनुमानित राशि
1	FLAME PHOTOMETER Microcontroller controlled automation for ease of operation. Determination upto four elements with single aspiration (Na, K, Li, and Ca). Upto five point calibration available.Frequently used measurement setups can be stored and recalled.Facilly for restandardisation with single standard available.Data processing with linear mode or quadratic curve fitting Results of a measurement taken earlier can be recalled and displayed (Max. results storage: 700) 20-character, 4-line alphanumeric LCD readout for adequate user interfaces.Built-in real time clock for date and time of analysis.Centronix printer port for Epson compatible Dot Matrix / Inkjet printers to get hard copy of results (printer optional).Printout facility for individual sample, batch samples in the memory (700 max) Air compressor with built-in air regulator and air filter		एक	
2	PH METER Large back light LCD display shows mode indicators and help messages. Up to 3 points push-button calibration with auto-buffer recognition. Selectable pH buffer standards and temperature units. Automatically calculates and displays electrode slope after calibration. Automatic Temperature Compensation (ATC) ensures highly accurate measurements over the entire range. Automatic endpoint function freezes the stable measured values Help message as a operational guide to helps you understand how to use meter. Setup menu lets user customizes buffer standards, calibration points, temperature units, automatic or manual hold function, auto-off feature to meet personal preferences. Reset function can resumes all settings to factory default values		दो	
3	SEED GERMINATOR 308 LITER SS CONS GMP MODEL 21 CFR COMBINED HUMIDITY AND TEMPERATURE CONTROLLER WITH AVS 95% RH		एक	
4	MUFFLE FURNACE 9X4X4X, PID DIGITAL CONTRILLER SS MODEL GMP COMPLIANT		एक	
5	WATER BATH 12 HOLES SS INNER/OUTER DIGITAL PID CONTROLLER GMP MODEL		एक	
6	EC METER Multipoint push - button calibration allows user to use customized calibration solutions [Up to 3 points, Default 84uS, 1413uS, 12.88mS and 111.8mS] Auto - Ranging for conductivity and TDS measurements. Selectable TDS conversion factors and temperature units (C or F) Adjustable TDS factors, cell constants and temperature units. Automatic Temperature Compensation (ATC) ensures highly accurate measurements over the entire range. Automatic endpoint function freezes the stable measured values for easy reading and recording data.Help message as a operational guide to helps you understand how to use meter.Setup menu lets user customizes calibration points, temperature units, automatic or manual hold function,auto-off feature to meet personal preferences. Reset function allows user to returns all settings to the factory default values	08 दिन 200/—	एक	10,00000/—
7	VORTEX MIXTURE AXIBIO FULL PVC BODY WITH TIMER		दो	
8	WATER DISTILLATION UNIT all glass /quartz , 4 lt/ hr , cabinet model iso company		एक	
9	REFRACTOMETER abbes with water bath of matching m gmp model, digital readout		एक	
10	OXYGEN CONCENTRATING MACHINE 5 ltr/ hr capacity electrically operated		एक	
11	REFRIDGERATOR 240 Ltr DOUBLE DOOR CFC FREE		एक	
12	DISECTING MICROSCOPE BRASS PARTS ISI MARKED		नौ	

निविदा की अन्य शर्तें निम्न प्रकार से होगीः—

1. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

2. बोली प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में उपरोक्तानुसार प्रति निविदा शुल्क राशि 200/– नकद जमा करवाकर दिनांक 15.09.2023 को सुबह 11 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है।
3. निविदा से संबधित सभी शर्तें वेबसाईट **https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcbarmer/COLLEGELEVAL** से डाउनलोड की जा सकेगी।
4. निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस को निविदा प्राप्त व खोली जा सकेगी।
5. अन्य शर्तें एवं क्रय नियम सा.वि.ले.नि के अनुसार रहेगी।

प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

क्रमांकः– रामबा/लेखा/2023/779 दिनांकः–08.09.2023

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वेबसाईट प्रभारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सम्पादक दैनिक मरूलहर ,बाड़मेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा डी.पी.आर. दर में छपवाकर प्रसारित करावें।
3. नोटीस बोर्ड महाविद्यालय,जिला कलेक्टर,नगर परिषद बाड़मेर।
4. नोटीस बोर्ड कार्यालय राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर।
5. रक्षित पत्रावली

प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

प्रप्रत्र–01

निविदा में वर्णित उपकरण सप्लाई हेतु दरें प्रस्तुत करनी होगी।
भरी हुई बोली दिनांक 15.09.2023 को सुबह 11 बजे तक प्राप्त की जावेगी

किसे संबोधित किया गया है:– **प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर**

1. बोलीदाता फर्म/बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम पद व पूर्ण पता..
2. मोबाईल नम्बर..
3. बोली शुल्क रू. 200/– जमा रसीद सं. .... दिनांक...
4. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी तथा दरें समस्त करों एवं एफ.ओ.आर सहित करें।
5. सामग्री आदेश देने पर 10 दिवस में सप्लाई/कार्य पूर्ण करना होगी।
6. आदेशानुसार सामग्री सप्लाई नहीं होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार दण्ड आरोपित किया जायेगा।
7. फर्म द्वारा आदेशानुसार व निर्धारित विशिष्टिकरण के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।क्वालीटी उच्च स्तर की होगी एवं समस्त परिवहन एवं पैकेजिंग व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।एवं सामग्री वाछिंत मापदण्डानुसार नहीं होने पर अपने खर्चे पर उठानी होगी।
8. बोली प्रपत्र बंद लिफाफे में सिल्ड पेक करें।
9. समिति न्युनतम दर वाली सामग्री उपापन के लिए बाध्य नहीं है,गुणवत्तापूर्ण सामग्री के चयन को प्रामिकता दी जाएगी।

हस्ताक्षर निविदा दाता

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

वित्तीय प्रपत्र–02

नमुनों की दरें लिफाफें में बंद करके प्रस्तुत करें

क. सं.	कार्य का विवरण विथ स्पेशिफिकेशन	दर प्रति उपकरण जीएसटी सहित अंकों में व शब्दों में अंकित करें
1	**FLAME PHOTOMETER** Microcontroller controlled automation for ease of operation. Determination upto four elements with single aspiration (Na, K, Li, and Ca). Upto five point calibration available Frequently used measurement setups can be stored and recalled Facility for restandardisation with single standard available Data processing with linear mode or quadratic curve fitting Results of a measurement taken earlier can be recalled and displayed (Max. results storage 700) 20 character 4 line alphanumeric LCD readout for adequate user interfaces Built in real time clock for date and time of analysis Centronix printer port for Epson compatible Dot Matrix / Inkjet printers to get hard copy of results (printer optional) Printout facility for individual sample, batch samples in the memory (700 max) Air compressor with built-in air regulator and air filter	
2	**PH METER** Large back light LCD display shows mode indicators and help messages. Up to 3 points push-button calibration with auto-buffer recognition. Selectable pH buffer standards and temperature units. Automatically calculates and displays electrode slope after calibration. Automatic Temperature Compensation (ATC) ensures highly accurate measurements over the entire range Automatic endpoint function freezes the stable measured values Help message as a operational guide to helps you understand how to use meter Setup menu lets user customizes buffer standards, calibration points, temperature units, automatic or manual hold function, auto-off feature to meet personal preferences. Reset function can resumes all settings to factory default values	
3	**SEED GERMINATOR** 308 LITER SS CONS GMP MODEL 21 CFR COMBINED HUMIDITY AND TEMPERATURE CONTROLLER WITH AVS 95% RH	
4	**MUFFLE FURNACE** 9X4X4X, PID DIGITAL CONTRILLER SS MODEL GMP COMPLIANT	
5	**WATER BATH** 12 HOLES SS INNER/OUTER DIGITAL PID CONTROLLER GMP MODEL	
6	**EC METER** Multipoint push - button calibration allows user to use customized calibration solutions [Up to 3 points, Default 84uS, 1413uS, 12.88mS and 111.8mS] Auto - Ranging for conductivity and TDS measurements. Selectable TDS conversion factors and temperature units (C or F) Adjustable TDS factors, cell constants and temperature units. Automatic Temperature Compensation (ATC) ensures highly accurate measurements over the entire range. Automatic endpoint function freezes the stable measured values for easy reading and recording data.Help message as a operational guide to helps you understand how to use meter Setup menu lets user customizes calibration points, temperature units, automatic or manual hold function,auto-off feature to meet personal preferences. Reset function allows user to returns all settings to the factory default values	
7	**VORTEX MIXTURE** AXIBIO FULL PVC BODY WITH TIMER	
8	**WATER DISTILLATION UNIT** all glass /quartz , 4 lt/ hr , cabinet model iso company	
9	**REFRACTOMETER** abbes with water bath of matching m gmp model, digital readout	
10	**OXYGEN CONCENTRATING MACHINE** 5 ltr/ hr capacity electrically operated	
11	**REFRIDGERATOR** 240 Ltr DOUBLE DOOR CFC FREE	
12	**DISECTING MICROSCOPE** BRASS PARTS ISI MARKED	

1. दरें समस्त करों,मजदूरी,एफ.ओ.आर. सहित अंकित करें।
2. गारण्टी/वारण्टी अवधि अंकित करें।

हस्ताक्षर निविदा दाता मय मोहर

राजकीय महाविद्यालय 1965 बाड़मेर

धरोहर राशि :–

प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर राशि के रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि (GOVERNMENT PG COLLEGE DEVELOPMENT COMMITTEE BARMER) के नाम के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमो से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

3.निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि :–

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) महाविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए महाविद्यालय की इच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की महाविधालय मे पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओ को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :–

1.उपाबन्ध "घ" संलग्न किया जाना है, जिसमें, निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।

2\. संविदा के यथावत् क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनो तथा शर्तो का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनो तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशत प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में महाविद्यालय को विनिश्चय ही अंतिम हागा।

(v) प्रतिभूति राशि संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् बिलो का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने के एक माह पश्चात् धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर महाविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

निविदातादाता के हस्ताक्षर

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

श अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

आपूर्ति एवं दण्ड :–

प्रदाय किया गया संपूर्ण सामान उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिह्न अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत/प्रमाणित नमूनों से पूरी पूरी तरह मेल खाती हुई होनी चाहिए और किसी ऐसी सामग्री के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणित या स्वीकृत नमूने नहीं है, सामान का प्रदान भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए। सामान की किस्म के संबंध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा निविदादाताओं के लिए मान्य होगा। प्रदान की गयी किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जाए और जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाए या बदलवायी जाए और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों के अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण कोई व्यय होगा या प्रदायको को कोई हानि हो तो पूर्ण रूप से निविदादाता के जिम्मे होगी। संविदा की शर्तो के अनुसार पूर्ण मात्रा सप्लाई नहीं करने तथा आंशिक सप्लाई नहीं करने की स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि प्रतिभूति राशि सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग द्वितीय के नियम 57 (5) के अनुसार जब्त करली जाएगी व शर्त संख्या 4 (6) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) यदि अनुमोदित किस्म में साईज या परिमाण के अलावा सामग्री का अन्यथा प्रदाय होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य को निश्चित समय के भीतर बदलना होगा। यदि सामग्री का मूल्य यथोचित रूप से कम कर दिया जाएगा तो क्रेता अधिकारी द्वारा नियत किए गए मूल्य अंतिम होगे। आपूर्त किए गए माल की गुणवत्ता निविदा पत्र में अंकित समय तक स्थिर रहनी चाहिए। गुणवत्ता में कमी आने पर आवश्यक शास्ति आरोपित की जावेगी।

(3) निविदादाता सामान तथा सामान के नमूनों के ठीक ठीक पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा ताकि सामान प्राप्तकर्ता को उसके स्थान पर अच्छी दशा में नमूने के अनुसार सामान की सुपुर्दगी मिल सकें। माल प्राप्तकर्ता द्वारा जांच हेतु सामान की निरीक्षण करते समय जो कोई भी हानि या कमी, को पूरा करने के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा, इसके लिए अतिरिक्त मूल्य अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) समस्त उत्कथित दरें एफओआर महाविद्यालय भण्डार कार्यालय होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए। स्थानीय प्रदायकों के मामले में भी दरो में समस्त कर शामिल होना चाहिए तथा राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर द्वारा कोई गाड़ी भत्ता या परिवहन व्यय नहीं दिया जाएगा। दरों की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी। सफल निविदाकार की दरें अनुबंध की अवधि से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

(5) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की गयी है, क्रय आदेश की तारीख से बीस दिन की अवधि के भीतर आपूर्ति निम्नानुसार करनी होगी – (1) कुल सामग्री का पचास प्रतिशत कार्यादेश की तिथि से 10 दिन में (2) शेष सामग्री अगले 05 दिन में वस्तुओ के प्रदाय की व्यवस्था करेगा। निविदा में दिखलाई गयी मात्राऐं अनुमानित है। वस्तुओं के प्रदाय की व्यवस्था महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार करनी होगी।

(6) यदि निविदादाता सामान की सप्लाई निर्धारित स्पेशिफिकेशन तथा/अथवा अनुमोदित नमूनों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी न कर पाए तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिए बिना निविदादाता के हिसाब से तथा उसकी जोखिम पर यह माल या उसका कोई भाग जो निविदादाता सप्लाई न कर पाया हो और कही से खरीद ले या यदि माल उपलब्ध न हो तो उस माल के बदले में सबसे अच्छा या पास में उपलब्ध होने वाला कोई माल खरीद ले या संविदा को रद्द कर दे तथा निविदादाता क्रेता अधिकारी को निविदादाता द्वारा विफल करने के कारण होने वाली हानि के नुकसान का दायी होगा, परन्तु निविदादाता व्यक्तिक्रम के फलस्वरूप किए गए क्रय पर होने वाले लाभ का हकदार नहीं होगा। ऐसी हानि या नुकसान की वसूली इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन देय राशि में से वसूल करली जाएगी।

निविदातादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

...ा तारीख से कुल 10 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी निम्नानुसार पूरी कर ली जावेगी –
...ल सामग्री का पचास प्रतिशत कार्यादेश की तिथि से 05 दिन में
(ii)शेष सामग्री अगले 05 दिन में।

यदि निविदादाता, निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाए तो क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार माल की सुपुर्दगी की अवधि निविदाकार से करारनुमा परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्मि नहीं होगी की वसूली के अध्यधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार बतलायी गई देरी (विलम्ब) के लिये होगी –

क.	निर्धारित कार्य की कालावधि की 1/4 कालावधि की देरी के लिये	2.5 %
ख.	1/4 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि को 1/2 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये	5 %
ग.	1/2 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि को 3+4 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये	7.5 %
घ.	3/4 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि के बराबर कालावधि से अनधिक	10%

टिप्पणी :–

(1) सप्लाई में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्नता को नहीं गिना जायेगा, यदि वह 1/2 दिन से कम है।
(2) परिनिर्धारित नुकसानों की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
(3) यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करें, तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय को आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा, लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं, किन्तु प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

5.भुगतान प्रक्रिया

(1) प्रदायक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले माल का भुगतान क्रयादेश निविदा व कराकर की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
(2) फर्म को माल सप्लाई पर 100 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा ।
(3) बिल राशि में उल्लेखित जी.एस.टी सहित राशि का भुगतान किया जायेगा।

6.अन्य शर्ते :–

1. समस्त कानूनी कार्यवाही या किसी भी पक्ष द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े, तो राजस्थान में बाड़मेर स्थित न्यायालयों में ही कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो में यदि निविदा दरें लागू रहने तक की अवधि में किसी भी समय किसी प्रकार की किसी सामग्री के बाजार मूल्य (मार्केट प्राईस) में कमी हो जाती है तो निविदादाता इसकी अविलम्ब सूचना महाविद्यालय को देगा अथवा महाविद्यालय को अन्य विश्वसनीय स्त्रोतों से किसी प्रकार रेट्स घटाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदादाता को इसकी सूचना दी जावेगी एवं निविदादाता तद्नुसार कम दरों पर सामग्री प्रदान करने के लिये बाध्य होगा और भुगतान भी कम दरों पर ही किया जावेगा। किन्तु बाजार मूल्य में बढ़ोतरी का कोई लाभ निविदादाता को नहीं दिया जावेगा।

निविदातादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

2. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्ते एव नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

3. फर्म द्वारा समस्त दरें सभी कर सहित देवे।

4. निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

राजकीय महाविद्यालय 1965 बाड़मेर

हस्ताक्षर प्राचार्य,

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त सभी शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं इन शर्तों की पालना की सहमति स्वरूप इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील पूर्ण पता

राजकीय महाविद्यालय 1965 बाड़मेर

50/– नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पर

करार का प्रारूप

1. यह करार आज दिनांक .... को एक और .... (जिसे इसमे इसके पश्चात् " कहा गया है कि,जिस अभिव्यक्ति, में जहां सन्दर्भ के अनुकूल हो वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समक्षा जायेंगे।) और दूसरी और **राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर** जिस अभिव्यक्ति में, जहां सन्दर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्ताधिकारी, तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित समझे जायेगे के बीच सम्पन्न किया गया है।

2. चूँकि अनुमोदित प्रदायक **राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर** को उसके मुख्यालय पर इसके साथ संलग्न अनुसूची मे उल्लेखित समस्त वस्तुएं, इसके साथ संलग्न संविदा के पत्र तथा संविदा के प्रतिबधो मे दी गई रीति के अनुसार तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ ....में उल्लेखित दरो से कार्य करने के लिए के साथ सहमत हो गया है।

3. चूकि अनुमोदित प्रदायक ने रूपए .... की रकम डिमांड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... द्वारा उपर्युक्त करार के यथावत पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप मे जमा करा दी है।

4. अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है :–

(1) प्राचार्य **राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर** द्वारा इसके साथ संलग्न अनुसूची मे उल्लेखित दरो से किए जाने वाले संदायो मे अनुमोदित प्रदायक .... (फर्म का नाम) संलग्न अनुसूची मे उल्लेखित उक्त कार्य संविदा तथा निविदा की शर्तो एंव प्रतिबंधो मे बतलायी गयी रीति से यथावत रूप से प्रदाय करेगा।

(2) निविदा और संविदा की शर्ते जो निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होगे।

(3) प्राचार्य **राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर** एतद द्वारा, यह करार करता है कि यदि अनुमोदित प्रदायक उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तो प्रतिबन्धो को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो **राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर** के जरिए अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिकन्धो मे उल्लेखित रीति से तथा समय पर, प्रत्येक सामान के लिए देय रकम का संदाय रेखाकिंत चैक से करेगी या करवायेगी।

(4) कयादेश की तारीख मे उल्लेखित अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी पूरी कर ली जावेगी।

(5) यदि अनुमोदित प्रदायक बिविदा प्रारूप मे विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपूर्ति न कर पाये तो महाविद्यालय अपने विवेकानुसार, माल की सुपुर्दगी की अवधि अनुमोदित प्रदायक से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नही होगी की वसूली के अध्यधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस

सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार नीचे बतलाई गयी देरी (विलम्ब) के लिये होगी :—

निविदादाता के हस्ताक्षर

क.	निर्धारित कार्य की कालावधि की 1/4 कालावधि की देरी के लिये	2.5 %
ख.	1/4 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि को 1/2 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये	5 %
ग.	1/2 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि को 3+4 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये	7.5 %
घ.	3/4 से अधिक परन्तु निर्धारित कार्य की कालावधि के बराबर कालावधि से अनधिक	10%

टिप्पणी :—

1. कार्य मे हुई देरी कर कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्नता को नही गिना जायेगा, यदि वह 1/2 दिन मे कम है।
2. परिनिर्धारित नुकसानो की अधिकतम राशि 10% होगी।
3. यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करे तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को जिसने प्रदाय को आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित मे आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नही।
4. धरोहर/प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नही होगा।
5. इस निविदा एंव अनुबध के संबंध मे अन्य शर्ते एंव नियम जिनका उल्लेख उपर नही किया गया है, राजस्थान सरकार के सा.वि. एंव लेखा नियमो के प्रावधानो के अनुसार होगी।
6. अनुमोदित दरें शर्त सं. 4(4 व 5) के अंतर्गत रहेगी।
7. इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा करार के निर्वाचर संबंधी समस्त सामग्री महाविद्यालय द्वारा विनिश्चय की अंतिम होगा। जिसके साक्ष्य में, इसके दोनो पक्षो ने दिनांक .... को अपने हस्तक्षर किये।

अनुमोदित विक्रेता के हस्ताक्षर

तारीख ....

साक्षी सं.1 ....

साक्षी सं.2 ....

महाविद्यालय के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर व पदनाम

तारीख ....

साक्षी सं.1 ....

साक्षी सं.2 ....

राजकीय महाविद्यालय 1965 बाड़मेर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

राजकीय महाविद्यालय
1965

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………………. for procurement of ………………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated………….. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc I

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजकीय महाविद्यालय
1965
बाड़मेर